## FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From the 053- ADARSH NAGAR Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rule, 1961, I declare that –

Shri RAFEEK KHAN Address D-135, KAILASH MARG, BANIPARK JAIPUR sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Rajasthan College, J.L.N. Marg, Jaipur

Date: 03-12-2023

DY. INSPECTION CONTROL REGISTRATION &

EX. OFFICIO COLLECTION STAMPS JAIPUR CIRCLE III

## प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

## (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

053 -आदर्श नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए

निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि - श्री रफीक खान पता डी-135, कैलाश मार्ग बनीपार्क जयपुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खडे किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं। स्थान: राजस्थान कॉलेज, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

दिनांक: 03.12.2023

(अयुन्य खान) रिट्रिन ऑफिसर रिट्रिन ऑफिसर रिट्रिन सुद्धि मिरिस्ट उप महानिरीक्षक पंजी किट्टिन स्वामक लम्हर उप महानिरीक्षक पंजी<del>वृह्म प्र</del>यं पदेन कलक्टर मुद्रांक जयपुर वृत तृतीय